

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 07/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य-सुरक्षा) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजेन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री भजनलाल अरोड़ा -खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक-
मै० राजेन्द्र कुमार नरेश कुमार, 61 पुरानी धान मण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

निर्णय

दिनांक : 14.02.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवारी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.01.2022 को समय दोपहर 1.00 बजे को मैसर्स राजेन्द्र कुमार नरेश कुमार, 61 पुरानी धान मण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता श्री राजेन्द्र करोड़ा पुत्र श्री भजनलाल अरोड़ा को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे धनिया पाउडर के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे धनिया पाउडर के 500 ग्राम वजनी 24 पोली पैकेट को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी धनिया पाउडर में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते धनिया पाउडर का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध धनिया पाउडर 500 ग्राम वजनी मूल शील्ड 4 पोली पैकेट (कुल 2 किलोग्राम) कय किया। कय शुदा चारों पैकेटों पर 4 लेबल चिपकाये। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा धनिया पाउडर का नगद भुगतान 320/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर

07/1
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



या, जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां-तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री राजेन्द्र अरोड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री राजेन्द्र अरोड़ा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा धनिया पाउडर के चार पैकटों को एक जगह बांध कर 4 बड़े पैकेट बनाए। चारों बड़े पैकटों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के 1310 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.-श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1310 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री राजेन्द्र अरोड़ा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

- स्टेट पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/83/एक्ट/2022/83 दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1310 Contravened of Regulation Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री राजेन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री भजनलाल अरोड़ा मै0 राजेन्द्र कुमार नरेश कुमार, 61 पुरानी धान मण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर धनिया पाउडर का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते हुए श्रीमानजी से निवेदन करता है कि प्रार्थी न साबुत धनिया की पिसाई करने के लिए चावला चक्की वाले को दिया था। चक्की वाले ने अपनी चक्की को अच्छी तरह साफ किए बिना ही प्रार्थी के धनिया की पिसाई कर दी, जो कि उसी चक्की में पहले हल्दी की पिसाई हुई थी, जिस कारण उसमें से हल्दी के कुछ कण प्रार्थी द्वारा पिसवाए गए धनिया पाउडर में आ गए होंगे। धनिया व हल्दी दोनों मसालों की श्रेणी में आते हैं और धनिया में हल्दी मिलने से मानव जीवन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थी ने जान बुझकर धनिया पाउडर में हल्दी के कण नहीं मिलाए हैं। चक्की वाले की लापरवाही व गलती से ऐसा हुआ है। प्रार्थी आईन्दा इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि दोबारा ऐसी गलती न हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थी के साथ नर्म रूख अपनाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया धनिया पाउडर का सैम्पल **K-1310** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/83/एक्ट/2022/83 दिनांक 24.01.2022 द्वारा **Contravened of Regulation Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वास्तविक तथ्यों से अवगत कराते हुए श्रीमानजी से निवेदन करता है कि प्रार्थी न साबुत धनिया की पिसाई करने के लिए चावला चक्की वाले को दिया था। चक्की वाले ने अपनी चक्की को अच्छी तरह साफ किए बिना ही प्रार्थी के धनिया की पिसाई कर दी, जो कि उसी चक्की में पहले हल्दी की पिसाई हुई थी, जिस कारण उसमें से हल्दी के कुछ कण प्रार्थी द्वारा पिसवाए गए धनिया पाउडर में आ गए होंगे। धनिया व हल्दी दोनों मसालों की श्रेणी में आते हैं और धनिया में हल्दी मिलने से मानव जीवन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रार्थी ने जान बुझकर धनिया पाउडर में हल्दी के कण नहीं मिलाए हैं। चक्की वाले की लापरवाही व गलती से ऐसा हुआ है। प्रार्थी आईन्दा इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि दोबारा ऐसी गलती न हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थी के साथ नर्म रूख अपनाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Dhania Powder" bearing Code No and Sr. No. **K-1310 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food containing extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food Safety and Standards Act 2006 due to Turmeric starch.. The sample is also Contravened of Regulation no. 2.3.14(15) of Food Safety and standards(Prohibition and Restrictions on sales) Regulation, 2011, as sold in loose condtion.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

डी.पी.एस.
डी. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर




फलस्वरूप अभियुक्त राजेन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री भजनलाल अरोड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजेन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री भजनलाल अरोड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रुपये 5,000-00 (अखरे रुपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में राजेन्द्र अरोड़ा पुत्र श्री भजनलाल अरोड़ा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डा. हरीविमल)
ज्येष्ठ निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर